कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद–लखनऊ।

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, 4–पण्डित नगर, चकबस्त रोड, कैसरबाग, लखनऊ
दूरभाष : 0522-2622080 फैक्स : 0522-2611192 ई–मेल : cmolko@up.nic.in / lkocmo@gmail.com

पत्रांक : मु0चि0अ0/निजी प्रति0/2017/2858-8 दिनांक : 21/3/17

1. सचिव
इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन
रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ।

2. सचिव
नर्सिंग होम एसोसिएशन
लखनऊ।

3. सचिव
पैथालॉजिस्ट एसोसिएशन
लखनऊ।

विषय : निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में सेवा प्रदान कर रहें राजकीय चिकित्सकों के सम्बन्ध में।

अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कतिपय निजी चिकित्सा प्रतिष्ठानों पर जनपद लखनऊ एवं जनपद लखनऊ से बाहर अन्य जनपदों के ऐसे चिकित्सकों, जो वर्तमान में नियमित राजकीय सेवा संवर्ग में अपनी सेवायें प्रदान कर रहे हैं, द्वारा निजी प्रतिष्ठानों में भी सेवायें प्रदान की जा रही है जो कि अनियमितता एवं राजकीय कार्य/दायित्वों के उल्लंघन की श्रेणी में आता है

उक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि आप अपने स्तर से सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिष्ठानों एवं उनमें अपनी सेवायें प्रदान कर रहे नियमित संवर्ग के चिकित्सकों को सूचित करने का कष्ट करें कि यदि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के निरीक्षण दल द्वारा किये गये निरीक्षण में ऐसे कर्मी सेवायें प्रदान करते हुए पाये जाते हैं तो न सिर्फ उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी बल्कि सम्बन्धित चिकित्सा प्रतिष्ठान के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित कर दी जायेगी जिसका समस्त उत्तरदायित्व स्वयं निजी चिकित्सा प्रतिष्ठान प्रबन्धक/स्वामी का होगा।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ

पत्रांक : मु0चि0अ0/निजी प्रति0/2017/2858-8. तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. जिला अधिकारी, लखनऊ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ।

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
लखनऊ